तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश भाटी बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर द्वितीय शहर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 91/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश भाटी निवासी डी–137, किर्ती नगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.04.2019 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर जोधपुर एमसीसी सेल के पत्रांक निर्वाचन/एमसीसी/2019/213 दिनांक 10.1202018 के बिन्दु संख्या 1 से 9 में उल्लेखित सूरजभान सिंह मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत जयपुर एवं जोधपुर दोनों कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका की प्रतियां तथा जयपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय स्थित कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु प्रस्तुत कार्यालय आदेश की सत्यापित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर द्वितीय,शहर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर द्वितीय शहर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर द्वितीय शहर जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर द्वितीय शहर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	